

प्रति,


समस्त कार्यपालन यंत्री,
जल संसाधन संभाग,
मध्यप्रदेश

विषय :- वित्तीय वर्ष 2012-13 का बजट आवंटन (वेतन उद्देश्य शीर्ष # 19 के अन्तर्गत आवंटन की सीमा में व्यय)

उपरोक्त विषयान्तर्गत म0प्र0 शासन वित्त विभाग के पृष्ठांकन क्रं.878/1133/चार/ब-1/2013 दिनांक 26.05.2012 की प्रति संलग्न है, जिसमें निर्देश अनुसार वित्तीय वर्ष 2012-13 हेतु उद्देश्य शीर्ष # 19 कार्यभारित /आकस्मिक सेवा के कर्मचारियों का वेतन अन्तर्गत विस्तृत शीर्षों 001 वेतन, 003 मंहगाई भत्ता, 004 वाहन भत्ता, 005 आदिवासी क्षेत्र भत्ता, 006 मकान किराया भत्ता, 008 अन्य भत्ते, 020 स्थायी यात्रा, 021 विशेष वेतन, 025 संविदा कर्मचारियों को परिश्रमिक, 028 ग्रेड पे में समेकित प्रावधानित राशि के विरुद्ध उस उद्देश्य शीर्ष की राशि आहरित की जा सकेगी। तदनुसार साफ्टवेयर में आवश्यक परिवर्तन हेतु आयुक्त कोष एवं लेखा को निर्देश दिये गये हैं, जबकि कई कार्यपालन यंत्रियों ने किसी विस्तृत शीर्ष में राशि कम होने से कोषालयों द्वारा वेतन आहरित न होने हेतु सूचित किया है।

अतः वित्त विभाग के उपरोक्त निर्देश अनुसार वेतन/भत्तों के देयक तैयार कर # 19 वेतन शीर्ष अन्तर्गत परिपत्र में अंकित विस्तृत शीर्षों में समेकित प्रावधानित राशि अनुसार आहरण कोषालयों में कराने हेतु निर्देशित किया जाता है।

सहपत्र :- एक परिपत्र दि 26/05/2012


(एम0 जी0 चौबे)

प्रमुख अभियन्ता

जल संसाधन विभाग, भोपाल.


भोपाल, दिनांक 28/01/2013

पृष्ठांकन क्रमांक 4211/88/2012-13

प्रतिलिपि :-

- (1) आयुक्त कोष एवं लेखा भोपाल।
- (2) समस्त मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश।
- (3) समस्त अधीक्षण यंत्री, जल संसाधन मण्डल, मध्यप्रदेश।
- (4) कोषालय अधिकारी.....
- (5) उप संचालक डाटा सेन्टर कोलार रोड, भोपाल (म0प्र0) जारी पत्र विभाग के वेबसाइट पर तत्काल प्रकाशित करें।


सहपत्र :- एक परिपत्र


(एम0 जी0 चौबे)

प्रमुख अभियन्ता

जल संसाधन विभाग, भोपाल.

"कुशावाहा"



मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

क्रमांक ९४७/1133/चार/ब-1/2012

भोपाल दिनांक ४६/05/2012

प्रति,

आयुक्त,
कोष एवं लेखा, म. प्र.
भोपाल,

विषय - वित्तीय वर्ष 2012-13 का बजट आवंटन (वेतन उद्देश्य शीर्ष #19 के अन्तर्गत आवंटन की सीमा में व्यय)

संदर्भ - वित्त विभाग का पत्र क्रमांक - 856/1133/चार/बो-1/2010 दिनांक 29/09/2010.

-00-

उपरोक्त संदर्भ में राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि वित्तीय वर्ष 2012-13 हेतु उद्देश्य शीर्ष #19 - कार्यभारित/आकस्मिक सेवा के कर्मचारियों का वेतन अन्तर्गत निम्न विस्तृत शीर्षों में समेकित प्रावधानित राशि के विरुद्ध उस उद्देश्य शीर्ष की राशि आहरित की जा सकेगी -

001	वेतन	020	स्थायी यात्रा भत्ता
008	महंगाई भत्ता	021	विशेष भत्ता
004	वाहन भत्ता	025	संबन्धित कार्यभारित के प्रारम्भिक
005	आदिवासी क्षेत्र भत्ता	028	ग्रैंड पे
006	मकान किराया भत्ता		
008	अन्य भत्ते		

अतः शासन के उक्त निर्णयानुसार सॉफ्टवेयर में आवश्यक परिवर्तन करने का कष्ट करें।

(मनीष रस्तोगी)

आयुक्त, बजट

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

भोपाल दिनांक ४६/05/2012

पृ. क्रमांक ९४८/1133/चार/ब-1/2012

प्रतिलिपि -

1. समस्त बजट नियंत्रण अधिकारी (www.mp.gov.in/finance)
2. समस्त उप सचिव/अवर सचिव, म. प्र. शासन वित्त विभाग।
3. समस्त बजट शाखाएँ, वित्त विभाग।



4,00,00,000

(पारमेश्वर कुमार)

अवर सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग